

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ24()शि.प्र./RVRES/निकाशि/13/234-235

दिनांक :- 30/9/13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- अधिकारियों के नाम के सम्मुख डॉ. अंकित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रायः यह विदित हुआ है कि पी0एच0डी0 धारी होने के बावजूद भी अधिकारियों के नाम के सम्मुख डॉ. अंकित किये बिना पत्राचार किया जाता है।

अतः सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर सुनिश्चित कर पी0एच0डी0 धारी अधिकारी के नाम के सम्मुख डॉ. अंकित कर ही पत्र व्यवहार करें।



अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :- एफ24()शि.प्र./RVRES/निकाशि/13/235

दिनांक :- 30/9/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षि को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।



संयुक्त निदेशक
निदेशालय कालेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर